दिनांक–15.01.2025 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति से संबंधित आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. **उपस्थिति :–**
   1. श्री दिवेश सेहरा, सचिव, पंचायती राज विभाग।
   2. श्रीमती प्रीति तोंगरिया, अपर सचिव, पंचायती राज विभाग।
   3. श्री आनन्द शर्मा, निदेशक
   4. श्री नजर हुसैन, संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग एवं अन्य विभागीय पदाधिकारी।

2. सचिव, पंचायती राज विभाग के द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये :–

I. **पंचायत सरकार भवन की समीक्षा** :–पंचायत सरकार भवन निर्माण के प्रगति की समीक्षा के दौरान निर्माण कार्य का सघन अनुश्रवण कर काम में तेजी लाते हुए जून 2025 तक पंचायत सरकार भवन निर्माण पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

I (a) ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन के प्रगति को तेज करने पर बल दिया।

जिस ग्राम पंचायत में मूल प्राक्कलन का 20 प्रतिशत राशि पुनरीक्षण कराया जाना है उसे चिन्हित कर संशोधित प्राक्कलन अविलंब तैयार करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता को उपस्थापित किया जाये।

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के मुख्य अभियंता का ये दायित्व होगा कि पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त होते ही दो दिनों के अंदर तकनीकी स्वीकृति कराकर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

जिस कार्यपालक अभियंता के द्वारा लापरवाही बरती जाएगी उसके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाये।

तकनीकी स्वीकृति के उपरांत जिला पदाधिकारी प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए अविलंब कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी का दायित्व होगा कि पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत कार्य प्रारंभ कराते हुए जून 2025 तक कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः– सभी जिला पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग)

I (b) स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन की प्रगति पर चिंता प्रकट करते हुए निदेशित किया गया कि मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन इसकी समीक्षा करेंगे एवं जहाँ निविदा प्रकाशित नहीं किया गया है वहाँ अविलंब निविदा प्रकाशित करेंगे तथा निविदा प्रकाशन के बाद शीघ्र ही संवेदक का चयन कर एकरारनामा करते हुए जून 2025 तक निश्चित रूप से पंचायत सरकार भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक के दौरान निदेश दिया गया कि सभी जिला पदाधिकारी पंचायत सरकार भवन हेतु चयनित भूमि पर निर्माण में आ रही समस्याओं को प्रत्येक सप्ताह समीक्षा कर निराकरण सुनिश्चित कराएगे। हर भवन का भूमि 31.01.2025 तक प्राप्त होना चाहिए।

(अनुपालनः– सभी जिला पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण, पंचायती राज विभाग)

I (c) भवन निर्माण विभाग के द्वारा निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन के प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुए निदेशित किया गया कि अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग इसकी समीक्षा करेंगे एवं जहाँ निविदा प्रकाशित नहीं किया गया है वहाँ अविलंब निविदा प्रकाशित करेंगे तथा निविदा प्रकाशन के बाद शीघ्र ही संवेदक का चयन कर एकरारनामा करते हुए जून 2025 तक निश्चित रूप से पंचायत सरकार भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक के दौरान निदेश दिया गया कि सभी जिला पदाधिकारी पंचायत सरकार भवन हेतु चयनित भूमि पर निर्माण में आ रही समस्याओं को प्रत्येक सप्ताह समीक्षा कर निराकरण सुनिश्चित कराएगे।

(अनुपालनः– सभी जिला पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग)

I (d) निदेश दिया गया कि जिस पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदत्त नहीं की गयी है उस पंचायत में पंचायत सरकार भवन की स्वीकृति हेतु संलेख/प्रस्ताव तैयार कर मंत्री परिषद् के समक्ष उपस्थापित किया जाये।

(अनुपालनः– पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना)

I (e) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी भी कई पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि सभी जिला पदाधिकारी जनवरी, 2025 तक निश्चित रूप से सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः– सभी जिला पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग)

II. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना :–

II(a) मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना की समीक्षा के दौरान निदेश दिया गया कि प्रथम एवं द्वितीय फेज में एजेंसियों के आवंटित किये गये कार्यों के विरूद्ध अधिष्ठापन नहीं किये जाने की समीक्षा जिला पदाधिकारी अपने स्तर से करते हुए जिस एजेंसी के द्वारा एकरारनामा की शर्तों के अनुसार सोलर लाईट का अधिष्ठापन नहीं किया गया है उनके विरूद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही कुछ एजेंसियों के द्वारा कार्य किये जाने के उपरांत भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। तो जिला पदाधिकारी समीक्षोपरांत शत–प्रतिशत कार्य पूर्ण करने वाले एजेंसी का भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिन एजेंसियों के द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर कार्य का निष्पादन नहीं किया गया है उनके विरूद्ध निदेशक, ब्रेडा अपने स्तर से अविलंब कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः–सभी जिला पदाधिकारी एवं निदेशक, ब्रेडा, पंचायती राज विभाग)

II(b) मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के तृतीय फेज में कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन कर उसकी सूची जिला को उपलब्ध करा दिया गया है।

जिला पदाधिकारी चयनित एजेंसियों के साथ एकरारनामा करते हुए कार्यादेश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा सामग्रियों का भंडारण नहीं करने के कारण अधिष्ठापन में कठिनाई हो रही है। अतः निदेश दिया गया कि निदेशक, ब्रेडा इस संबंध में अपने स्तर से सघन अनुश्रवण कर निर्धारित अवधि के अंदर एकरारनामा की शर्तों के अनुरूप सोलर लाईट अधिष्ठापन करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा जिस एजेंसी के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है उसे चिन्हित कर उस एजेंसी के विरूद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः–सभी जिला पदाधिकारी एवं निदेशक, ब्रेडा, पंचायती राज विभाग)

II(c) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अधिष्ठापन के उपरांत सोलर लाईट के कार्यशीलता का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है। CMS हेतु चयनित एजेंसी के द्वारा अधिकांश जिलों में अनुश्रवण कोषांग स्थापित नहीं किया गया है। कुछ जिलों में अनुश्रवण कोषांग अधिष्ठापित करने के उपरांत मानव–बल उपलब्ध नहीं कराने के कारण कार्यशीलता संबंधी डेटा जिला को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, फलस्वरूप अकार्यशील लाईट निर्धारित समय के अंदर ठीक कराने में कठिनाई हो रही है। निदेश दिया गया कि निदेशक, ब्रेडा इसकी स्वयं समीक्षा कर CMS अनुश्रवण कोषांग गठित कर रियल टाईम डाटा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिस एजेंसी के द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर अकार्यशील लाईट का मरम्मती नहीं कराया जा रहा है उस एजेंसी पर एकरारनामा की शर्तों के अनुरूप राशि की कटौती कर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाये।

पंचायती राज विभाग द्वारा बताया गया कि तृतीय चरण हेतु चयनित एजेंसी को ब्रेडा द्वारा Dispatch Instruction नहीं दिये जाने के कारण सामग्रियों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। निदेश दिया गया कि निदेशक, ब्रेडा अविलंब इस संबंध में कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः– निदेशक, ब्रेडा, पंचायती राज विभाग)

iii. 15वीं वित्त आयोग :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि से जिला परिषद् के द्वारा 17.62% व्यय हुआ है। निदेश दिया गया कि 03 निम्नोत व्यय करने वाले मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद से स्पष्टीकरण कर अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। साथ ही 15वीं वित्त आयोग की राशि के व्यय में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि से पंचायत समिति के द्वारा 44.59% व्यय हुआ है। निदेश दिया गया कि 05 निम्नोत व्यय करने वाले पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति से स्पष्टीकरण कर अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। साथ ही 15वीं वित्त आयोग की राशि के व्यय में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि से ग्राम पंचायत के द्वारा 52.49% का व्यय हुआ है। निदेश दिया गया कि 10 निम्नोत व्यय करने वाले ग्राम पंचायत के संबंधित पदाधिकारी, ग्राम पंचायत से स्पष्टीकरण कर अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। साथ ही 15वीं वित्त आयोग की राशि के व्यय में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी उप विकास आयुक्त–सह– कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग)

iv. षष्ठम राज्य वित्त आयोग :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि से जिला परिषद को प्राप्त राशि का मात्र 7.43% अभी तक व्यय हुआ है। निदेश दिया गया कि 03 निम्नोत व्यय करने वाले मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद से स्पष्टीकरण कर अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। साथ ही षष्ठम राज्य वित्त आयोग की राशि के व्यय में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि समीक्षा के क्रम में पाया गया कि षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि से पंचायत समिति को प्राप्त राशि का मात्र 13.50% अभी तक व्यय हुआ है। निदेश दिया गया कि 05 निम्नोत व्यय करने वाले पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति से स्पष्टीकरण कर अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। साथ ही षष्ठम राज्य वित्त आयोग की राशि के व्यय में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि से पंचायत समिति को प्राप्त राशि का मात्र 15.45% अभी तक व्यय हुआ है। निदेश दिया गया कि 10 निम्नोत व्यय करने वाले ग्राम पंचायत के संबंधित पदाधिकारी, ग्राम पंचायत से स्पष्टीकरण कर अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। साथ ही षष्ठम राज्य वित्त आयोग की राशि के व्यय में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

बैठक में निदेश दिया गया कि कम राशि व्यय होने पर सभी जिला पदाधिकारी को साप्ताहिक रूप से समीक्षा करते हुए व्यय सुनिश्चित किया जाये।

समीक्षा के दौरान यह बात प्रकाश में आया कि लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक द्वारा भुगतान पूर्व कटौती का सत्यापन किये जाने के कारण भुगतान में अनावश्यक विलम्ब होता है। जबकि लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक का कार्य मूलतः संकल्प संख्या–4046 दिनांक–25.07.2018 में अंकित है, जिसमें उक्त कार्य सम्मिलित नहीं है। सभी योजनाओं के भुगतान पूर्व कटौती के सत्यापन का कार्य उक्त संकल्प में शामिल नहीं होने के कारण इसे विलोपित किया जाता है। यद्यपि मासिक समीक्षा के क्रम में भुगतान पूर्व सत्यापन का कार्य लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक द्वारा किया जाएगा।

(अनुपालनः– सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी उप विकास आयुक्त–सह– कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पंचायती राज विभाग)

V. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजनाः–

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (RGSA) अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं/प्रतिभागियों की संख्या के समानुपातिक व्यय भी सुनिश्चित किया जाये। कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया, साथ ही प्राप्त राशि के व्यय में भी नियमानुसार तेजी लाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी उप विकास आयुक्त–सह– कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पंचायती राज विभाग)।

21/1/25

(अमृत लाल मीणा)
मुख्य सचिव,
बिहार

ज्ञापांकः–9प०/विविध–01–247/2023/1237/पं०रा० पटना, **दिनांक 21/01/2025**

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार/सभी संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द शर्मा)
निदेशक 21/01/25

21/1/25

ज्ञापांकः–9प०/विविध–01–247/2023/1237/पं०रा० पटना, दिनांक 21/01/2025

प्रतिलिपिः– अपर सचिव/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के आशुलिपिक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द शर्मा)
निदेशक

ज्ञापांकः–9प०/विविध–01–247/2023/1237/पं०रा० पटना, दिनांक 21/01/2025

प्रतिलिपिः–श्रीमती रंजना कुमारी, आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए अनुरोध है कि उक्त पत्र सभी संबंधितों को ई–मेल करते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(आनन्द शर्मा) 21/01/25
निदेशक

RSM
20-1-25